न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 026/2024(रसद) (GCMS 2024/341)	दायर दिनांक 27.11.2024	निर्णय दिनांक 07.01.2025

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

फौरुलाल पिता देवाराम, प्रो. होटल काटून्दा मौड बेंगू तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल नंबर 7297817780)

विपक्षी

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
एक तरफा — विपक्षी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.09.2024 को अवैध घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरुपयोग के संबंध में कार्यवाही के दौरान विपक्षी द्वारा अवैध गैस रिफलिंग की सूचना पर कार्यवाही के दौरान विपक्षी से जब्तशुदा सामग्री जिसका विवरण आवेदन अनुसार हैं के निस्तारण हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं, एवं अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं उसमें भरी हुई **42.6 Kg.** एवं 1 रिफिलिंग मोटर को राजसात करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 07.01.2025 को विपक्षी के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी की विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण का निस्तारण किये जाने की ईश्तदुआ की गई। इस पर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक/एफ 65(1) खा.वि./एलपीजी/2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 10.09.2024 के क्रम में जिले में एलपीजी सिलेण्डरो के दुरूपयोग से हो रही दुर्घटनाओं से जान–माल और राजस्व हानि को दृष्टिगत रखते हुऐ दुरूपयोग को रोकने के लिये जिले में सघन अभियान चलाने के निर्देश खाद्य विभाग से प्राप्त हुए एवं प्राप्त निर्देशों की पालना में दिनांक 23.09.2024 को गई। सूचना के आधार पर सब होटल काटुन्दा मौड का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण विपक्षी फौरूलाल पिता देवाराम की उपस्थिति में किया गया। वक्त निरीक्षण 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं मय उसमें भरी हुई **42.6 Kg.** एवं 1 रिफिलिंग मोटर पाये जाने से पूछताछ करने पर एवं घरेलू गैस सिलेण्डर के संबंध में आवश्यक दस्तावेज मांगने पर फौरूलाल द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे विपक्षी से उक्त सामग्री अभिग्रहित की जाकर श्री राजूसिंह राठौड, मैनेजर बेंगू सर्विस की सुपुर्दगी में दिये गये है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा घरेलू गैस का व्यापारिक उपयोग किया गया जिससे विपक्षी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं मय उसमें भरी हुई **42.6 Kg.** एवं रिफिलिंग मोटर को राजसात करने की कृपा करें। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। जिला रसद अधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये दस्तावेजाता का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका एवं जब्ती का अवलोकन किया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा विपक्षी की दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी के कब्जे में 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं मय उसमें भरी हुई **42.6 Kg.** एवं रिफिलिंग मोटर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों के संबंध में वैद्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके साथ ही विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं जिससे विपक्षी की और से आवेदन का किसी भी प्रकार से खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती हैं, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है, ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं मय उसमें भरी हुई **42.6 Kg.** एवं रिफिलिंग मोटर राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 23.09.2024 को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी फौरूलाल पिता देवाराम, प्रो. होटर काटुन्दा मौड बेंगू तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) की दुकान से जब्त शुदा 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं मय उसमें भरी हुई **42.6 Kg.** एवं रिफिलिंग मोटर राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>07.01.2025</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official